भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2849
उत्तर देने की तारीख – 12/08/2026

दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं के तहत निधि का अल्प उपयोग

2849. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति के 13वीं डीआरपीएससी प्रतिवेदन की उन समुक्तियों पर ध्यान दिया है जिनमें पिछले तीन वर्षों में एडीआईपी, एसआईपीडीए, डीडीआरएस और दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के तहत निधि के अल्प उपयोग की बात को रेखांकित किया गया है, यदि हाँ, तो इसके योजना-वार कारण क्या हैं;

(ख) पिछले पाँच वर्षों में एडीआईपी, एसआईपीडीए, डीडीआरएस और छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए योजना-वार और वर्ष-वार आवंटित, संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं को लागू करने पर मंजूरी में देरी और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी आदि जैसे कारकों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवंटित निधि के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) से (ख) : जी, हाँ।

यद्यपि भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि **9** के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को राहत प्रदान करना राज्य का विषय है**,** फिर भी केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। ये योजनाएँ मांग आधारित हैं और निधियों का वितरण वास्तविक मांग के अनुसार किया जाता है।

योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत निधियां योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर पात्र लाभार्थियों/संगठनों/संस्थानों को जारी की जाती है। अतः निधियां जारी किया जाना सभी दृष्टियों से पूर्ण तथा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता की योजना (एडिप), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, **2016** के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा), दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) तथा छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए योजना-वार आवंटित और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। यद्यपि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि योजनाओं के लिए आवंटित बजट का उपयोग पूर्ण रूप से हो, फिर भी कुछ वर्षों में बजट के कम उपयोग का कारण हितधारकों द्वारा प्रस्तावों का विलंब से या अपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाना रहा है।

कुछ प्रमुख योजनाओं की प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

(i) एडिप योजना: **15**वें वित्त आयोग चक्र के अंतर्गत एडिप योजना के लिए स्वीकृत **₹1,411.00** करोड़ की पूरी राशि जारी की जा चुकी है और उसका पूर्ण उपयोग किया गया है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत निधियों का कोई कम उपयोग नहीं हुआ है।

(ii) दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना: प्रारंभ में **15**वें वित्त आयोग चक्र के लिए इस योजना के अंतर्गत **₹560** करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। अनुमानित मांग में वृद्धि को देखते हुए वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त **₹100** करोड़ की मांग की गई। **15**वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान **₹636.7** करोड़ की राशि पूर्ण रूप से जारी की गई और उसका उपयोग किया गया, जो प्रारंभिक आवंटन से **₹76.7** करोड़ अधिक है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत निधियों का कम उपयोग नहीं हुआ है।

(iii) डीडीआरएस: बेहतर योजना निर्माण, निगरानी, समय पर अनुमोदन तथा सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में सेवाओं के विस्तार के संबंध में माननीय समिति की सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु संज्ञान में लिया गया है। विभाग ने कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने और निधियों के उपयोग में सुधार लाने के लिए ई-अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन वास्तविक समय ट्रैकिंग, वीडियो निरीक्षण के माध्यम से निगरानी, आरसीआई और यूडीआईडी सत्यापन तथा सेवाओं से वंचित, आकांक्षी, पर्वतीय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देने जैसे उपाय किए हैं।

(iv) सिपडा: सिपडा पूरे भारत में लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक योजना है। निधियों का जारी किया जाना पूर्ण तथा योजना के अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

(v) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी): सिपडा के अंतर्गत यूडीआईडी उप-योजना के तहत जारी की गई निधियों का उपयोग इस योजना कार्यान्वयन, जिसमें पोर्टल का रखरखाव, उन्नयन तथा संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं, के लिए किया जाता है। विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपकरणों की खरीद, जागरूकता गतिविधियों तथा मौजूदा मैनुअल दिव्यांगता प्रमाणपत्रों के डिजिटलीकरण जैसे विशिष्ट घटकों के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त राज्य समन्वयक के पारिश्रमिक के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यूडीआईडी उप-योजना के अंतर्गत निर्धारित निधियों का उपयोग मांग आधारित है और यह सृजित, मुद्रित तथा प्रेषित किए गए यूडीआईडी कार्डों की संख्या तथा संबंधित गतिविधियों के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है।

(vi) जागरूकता सृजन एवं प्रचार-प्रसार (एजीपी): इस योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग दिव्यांगजनों के अधिकारों और हकदारियों के संबंध में लक्षित जागरूकता अभियानों, संवेदनशीलता कार्यशालाओं तथा व्यापक प्रचार-प्रसार गतिविधियों के लिए सक्रिय रूप से किया जाता है।

(ग) से (घ): निधियों के उपयोग के संबंध में माननीय समिति की सिफारिशों को विधिवत संज्ञान में लिया गया है। यद्यपि पात्र लाभार्थियों/संगठनों/संस्थानों को निधियों का जारी किया जाना योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करता है, तथापि विभाग ने योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। निधियों के समय पर उपयोग और प्रभावी सेवा प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाती है, जिसमें भौतिक निरीक्षण भी शामिल हैं। विभाग संबंधित हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है ताकि उन्हें संवेदनशील बनाया जा सके तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं के लाभों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। हितधारकों से समय-समय पर फीडबैक (प्रतिक्रिया) भी प्राप्त किया जाता है।

विभाग पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा योजनाओं के लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। जागरूकता सृजन एवं प्रचार-प्रसार (एजीपी) योजना के माध्यम से विभाग अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में व्यापक जन-जागरूकता उत्पन्न कर रहा है। विभाग ने, योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले कारकों, जहाँ लागू हो, का मूल्यांकन किया है, जैसे लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, निर्मित एवं डिजिटल वातावरण के लिए सुगम्यता संबंधी लेखा परीक्षकों की कमी, चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब आदि। सुधार के उद्देश्य से विभाग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर कार्यान्वयन संबंधी कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से दस्तावेजों के समय पर प्रस्तुतिकरण में सुधार लाने तथा समय-समय पर आयोजित आभासी और भौतिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से कार्यों की प्रगति की निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

विशेष रूप से सिपडा योजना के अंतर्गत बाधा-मुक्त वातावरण के निर्माण के संबंध में, उपयुक्त सरकारों तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को सुगम्यता लेखा-परीक्षण कराने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग ने

निर्मित वातावरण तथा वेब/डिजिटल क्षेत्र, दोनों में, सुगम्यता लेखा-परीक्षकों को पैनल में शामिल किया है। वर्तमान में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने निर्मित वातावरण के लिए साठ (**60**) सुगम्यता लेखा-परीक्षकों तथा वेब सुगम्यता के लिए बीस (**20**) सुगम्यता लेखा-परीक्षकों को पैनल में शामिल किया है। दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत विभाग ने कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने तथा निधियों के उपयोग में सुधार लाने के लिए ई-अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन वास्तविक समय ट्रैकिंग, वीडियो निरीक्षण के माध्यम से निगरानी, आरसीआई और यूडीआईडी सत्यापन तथा सेवाओं से वंचित, आकांक्षी, पर्वतीय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देने जैसे उपाय किए हैं। जहाँ तक जागरूकता सृजन एवं प्रचार-प्रसार (एजीपी) घटक का संबंध है, सिपडा योजना के इस घटक के अंतर्गत निधियों की जांच, उन्हें जारी करने तथा निगरानी के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित किया गया है। सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन एक स्क्रीनिंग (जांच) समिति द्वारा किया जाता है और निधियाँ उसकी सिफारिशों के आधार पर जारी की जाती हैं। इसके बाद की निधियाँ पूरी तरह से उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षित लेखे तथा प्रगति प्रतिवेदनों के प्रस्तुत किए जाने पर ही निर्भर करती हैं।

आवंटित निधियों के निरंतर, प्रभावी और इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने तथा अनुमोदन में विलंब या विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी कमियों के किसी भी संभावित प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के उपयोग को संस्थागत रूप प्रदान किया है। योजनाओं के जमीनी स्तर पर उचित कार्यान्वयन तथा निधियों के समुचित उपयोग का सत्यापन करने के लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण भी किए जाते हैं।

<u>प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध</u>

पिछले पाँच वर्षों के दौरान एडिप, सिपडा, डीडीआरएस तथा छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वर्ष-वार आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

बीई – बजट अनुमान, आरई – संशोधित अनुमान, एई – वास्तविक व्यय

क्र. सं.	योजना का नाम	2021-22			2022-23			2023-24			2024-25			2025-26		
		बीई	आरई	एई	बीई	आरई	एई	बीई	आरई	एई	बीई	आरई	एई	बीई	आरई	एई
1	एडिप	220	180	198.7	235	230	242.2	245	305	290.6	315	350	348.8	316.7	330.6	330.6
2	डीडीआरएस	125	105	100.9	125	105	114.6	130	130	129.9	165	139	139.3	165	145	135.2
3	सिपडा	209.7	147.3	108.44	240.3	100	65.5	150	67	76.7	135.3	111	44.1	115.1	200	157.6
4	दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना	125	110	120.32	105	145	142	155	155	130.07	142.6	80	89.7	145	135	154.6
